प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 28.03.2026

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तगण प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कारावास एवं कुल ₹66,000/- के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय एवं श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे **#Operation Conviction** अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-अभियोजन समन्वय के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (सत्र न्यायालय) द्वारा अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण का विवरण:

थाना: घोरावल, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0: 149/2015
एस0टी0 नं0: 122/2015
धारा: 323, 304 व 504 भादवि0

अभियुक्त:

1. गरीब पुत्र सोमारु
2. रामअवतार पुत्र गरीब
3. मोहनलाल पुत्र गरीब
4. रामलाल पुत्र गरीब
5. मन्नीलाल शर्मा पुत्र बेजू शर्मा
6. नन्दलाल पुत्र मन्नीलाल शर्मा

समस्त निवासीगण बेलखुरी थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।

SONBHADRA POLICE

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:

मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण प्रत्येक को धारा 304 भादवि0 सपठित धारा 149 में 10-10 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड, 323 भादवि0 सपठित धारा 149 में 06-06 माह का कारावास व 500-500/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 06-06 माह का कारावास व 500-500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:

उक्त प्रकरण में थाना घोरावल पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा समन्वित रूप से प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय में सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए कठोर सजा दिलाई जा सकी।

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं सुदृढ़ अभियोजन के माध्यम से दोषियों को दण्डित कराए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।

SONBHADRA POLICE